संख्या–1252 / 79–6–2016

प्रेषक

अजय कुमार सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (बेसिक)
उ0प्र0 लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग–6

लखनऊः दिनांकः 03-10- सितम्बर 2016

विषयः निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत गैर सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को यूनीफार्म तथा पाठ्य पुस्तकों के लिए वित्तीय सहायता दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–शि0नि0(बे0) / अ0शि0नि0(शिविर) / 22459 / 2016–17 दिनांक 30.08.2016 के क्रम में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत गैर सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को यूनीफार्म तथा पाठ्य पुस्तकों के लिए वित्तीय सहायता दिये जाने हेतु निम्नानुसार श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) सर्व शिक्षा अभियान एवं राज्य सरकार द्वारा परिषदीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों के समस्त बालक–बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, कार्य पुस्तिकाएं एवं दो सेट निःशुल्क यूनीफार्म दिये जाने की व्यवस्था विद्यमान है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश प्राप्त अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को भी पाठ्य पुस्तकों, अभ्यास पुस्तिकाओं एवं यूनीफार्म हेतु वित्तीय सहायता दिये जाने का निर्णय लिया गया है ताकि उनके अभिभावकों को उक्त व्यवस्था करने में आने वाले व्यय भार की कठिनाई का सामना न करना पड़े तथा वे अपने पाल्यों को सुगमता से विद्यालय भेज सकें जिससे अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चे समावेशी परिवेश में गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्राप्त कर सकें।

(2) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2013–14 से अब तक प्रवेश पाये अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के अध्ययनरत लगभग 16000 छात्र–छात्राओं को पाठ्य पुस्तकों, अभ्यास पुस्तिकाओं एवं यूनिफार्म के लिए शैक्षिक सत्र 2016–17 में प्रति छात्र रू0–5000 की दर से कुल धनराशि रू0–8.00 करोड़ मात्र (रू0 आठ करोड मात्र) का व्ययभार अनुमानित है, जिसके लिये चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में बजट व्यवस्था कराई गई है। इस योजना के अन्तर्गत व्यय की जाने वाली समस्त धनराशि राज्य सरकार द्वारा अपने स्रोतों से वहन की जायेगी।

(3) उक्त योजना के अन्तर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को पाठ्य पुस्तकें, अभ्यास पुस्तिकाएं एवं यूनीफार्म क्रय किये जाने के उद्देश्य से ऐसे छात्र–छात्राओं अथवा उनके अभिभावकों को वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने हेतु धनराशि संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। जिला बेसिक शिक्षा

अधिकारियों द्वारा उक्त धनराशि सीधे छात्र–छात्राओं अथवा उनकें अभिभावकों द्वारा बैंक में खोले गये खाते में हस्तान्तरित की जायेगी।

कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अजय कुमार सिंह)
सचिव।

संख्या–1252(1) /79–6–2016,तददिनाक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
3– समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0

आज्ञा से

(अमिताभ त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।